न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 27 / 2024

मनीराम पुत्र किशनी जाति पुजारी (बैरागी) निवासी नगला छतरी पीगौंरा तहसील नदबई, जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार नदबई निर्णय दिनांक 28.05.2024 वमुकदमे राज0 सरकार बनाम मनीराम मु0न0 84 / 2024

उपस्थित :–

1– श्री महाराज सिंह डागुर, अभिभाषक अपीलान्ट,

2– पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 30.04.2025**

अपीलान्ट ने जरिये अभिभाषक यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.05.2024 तहसीलदार नदबई इस आशय की पेश की गई है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2024 विधि विरूद्ध, रिकार्ड व मौके के विपरीत है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि विवादित आराजी खसरा नं0 1584 रकवा 0.31 हैक्टेयर स्थित ग्राम नगला छतरी पीगोरा तहसील नदबई जिसके 0.05 है भू भाग पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का अतिक्रमण माना है यह भू भाग मौके पर कोई रास्ता नहीं है पिछले सैकडों सालों से यहॉ पर कभी कोई रास्ता चालू नहीं रहा है। राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राज गैर मुमकिन रास्ते के आधार पर खण्डनाधीन आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रृटि की है। विवादित स्थल पर अपीलान्ट की रिहायशी पाटौर पडी हुई है। इसके अलावा रिहायश के लिए अपीलार्थी के लिए अन्य कोई स्थान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

खण्डनाधीन आदेश देने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवायी का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है, कोई जबाव नोटिस व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया है। तहत न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। जो काबिल खारिज के है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं दी गई है। दिनांक 25.06.2024 को आदेश की नकल हेतु आवेदन किये जाने पर दिनांक 05.08.2024 को आदेश की नकल ली जाकर जानकारी होने के दिन से यह अपील अन्दर अवधि पेश की जा रही है। म्याद बाबत् धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न किया है। उक्त आदेश के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.08.2024 को पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर जरिये नोटिस रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई एवं तहत पत्रावली तलब की गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये तर्क किया है कि विवादित आराजी खसरा नं0 1584 रकवा 0.31 हैक्टेयर स्थित ग्राम नगला छतरी पीगोरा तहसील नदबई जिसके 0.05 है भू भाग पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का अतिक्रमण माना है यह भू भाग मौके पर कोई रास्ता नहीं है पिछले सैकडों सालों से यहॉ पर कभी कोई रास्ता चालू नहीं रहा है। विवादित स्थल पर अपीलान्ट की रिहायशी पाटौर पडी हुई है। इसके अलावा रिहायश के लिए अपीलार्थी के लिए अन्य कोई स्थान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने खण्डनाधीन आदेश देने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवायी का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है, कोई जबाव नोटिस व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया है। तहत न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। जो काबिल खारिज योग्य है।

रेस्पोडेन्ट पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 1584 रकवा 0.31 है. में से 0.0050 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम नगला छतरी पीगौरा पर मनीराम पुत्र किशनी जाति पुजारी (वैरागी) द्वारा पक्की पाटौर डालकर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामील शा. मि. किया गया। अतिक्रमी की ओर से उसके भाई ने उपस्थित होकर जबाव पेश किया। विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अनाधिकृत रूप से पक्की पाटौर बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। इस कारण अपीलान्ट को उक्त विवादित भूमि से बेदखल किया गया है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का अनुरोध किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। तहसीलदार नदबई से प्राप्त तहत पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। म्याद के सन्दर्भ में आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

> " Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

> " Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया।

हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। तहत पत्रावली में उपलब्ध खसरा परिवर्तनी संवत 2081 एवं रिपोर्ट पटवारी ग्राम पीगोंरा पटवार क्षेत्र पीगोरा, निरीक्षक क्षेत्र बछामदी तहसील नदबई के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 1584 रकवा 31 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। अपीलान्ट / अतिक्रमी द्वारा विवादित आराजी खसरा नं. के रकवा 0.0050 है0 पर पक्की पाटौर बनाकर अवैधरूप से कब्जा किया गया है, जो गलत है। तहत पत्रावली में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब तारीखी 28.08.2024 से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी पर अतिक्रमण किये जाने से इन्कार नहीं

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

किया गया है, साथ ही गॉव के अन्य लोगों द्वारा भी आम रास्ते पर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में आम रास्ते पर गॉव के अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण किये जाने की स्थिति में विस्तृत जॉच कर विवादित आराजी से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु तहसीलदार नदबई को निर्देशित किया जाना उचित पाते हैं। जहॉ तक प्रश्न विवादित भूमि के आवंटन/नियमन का है, इस सम्बन्ध में स्पष्ट है कि विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है। ऐसी भूमियॉ आर. टी. एक्ट की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है। ऐसी भूमियों का किसी प्रकार से आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता। अतः तहसीलदार नदबई द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये सही निर्णय पारित किया है। जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। तहसीलदार नदबई का निर्णय यथावत रखा जाता है। अस्तु अपील काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार नदबई को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी की विस्तृत जॉच करें। यदि ग्रामीणों द्वारा आम रास्ते पर अतिक्रमण किया गया है तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाकर अतिक्रमण हटाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस तहसीलदार नदबई को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को सुनाया गया

(डॉ अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर